न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/5984/2003/दौसा

1– जगदीश पुत्र रामजीलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी भांवता, तहसील बसवा, जिला दौसा ।

–अपीलांट

बनाम

1– मु0 बसन्ती देवी पत्नि लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम भांवता, तहसील बसवा, जिला दौसा ।

2– मु0 चमेली देवी पत्नि बनवारीलाल पुत्री लक्ष्मीनारायण, निवासी ग्राम कुण्डल हाल निवासी अलवर कृषि उपज मण्डी, भट्टों के पास, अलवर।

3– बदरी,

4– रामजीलाल,

पुत्रान गोरधन, निवासी ग्राम भांवता, तहसील बसवा, जिला दौसा ।

5– रामधन (फौत) जरिये वारिसानः–

5/1– बाबूलाल पुत्र रामजीलाल दत्तक पुत्र रामधन, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम भांवता, तहसील बसवा, जिला दौसा ।

6– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बसवा (उप पंजीयन अधिकारी) दौसा, जिला दौसा ।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 13.02.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प–बांदीकुंई द्वारा अपील संख्या 31/2002 बउनवानी

जगदीश बनाम बसन्ती में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक वाद विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, बांदीकुंई के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 बाबत् इस्तकरारहक, इंद्राज दुरूस्ती व तकासमा का आराजियात खसरा नंबर 555 रकबा 0.25 ऐयर, खसरा नंबर 556 रकबा 11 ऐयर, खसरा नंबर 557 रकबा 60 ऐयर, खसरा नंबर 558 रकबा 32 ऐयर, खसरा नंबर 559 रकबा 26 ऐयर, खसरा नंबर 560 रकबा 26 ऐयर, खसरा नंबर 649 रकबा 1 ऐयर, खसरा नंबर 650 रकबा 83 ऐयर, खसरा नंबर 1087 रकबा 27 ऐयर, खसरा नंबर 1105 रकाब 22 ऐयर, खसरा नंबर 1106 रकबा 26 ऐयर कुल किता 11 कुल रकबा 3.33 है0 ग्राम भांवता, तहसील बसवा, जिला दौसा में स्थित आराजी बाबत् पेश किया तथा बताया कि विवादित आराजी में वह स्व0 लक्ष्मीनारायण के हिस्से पर उसके जीवनकाल से ही वसीयत के आधार पर काबिज रहा है तथा आज भी लक्ष्मीनारायण के हिस्से की भूमि पर उसका कब्जा है, लेकिन रेस्पो0 नंबर 1 बसंती पत्नी लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण व रेस्पो0 संख्या 2 चमेली देवी पत्नि बनवारीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण इस विवादित आराजी में इनके हिस्से की 1/4 भूमि को बेचना चाहती है । अतः वादी को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया । विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2002 के द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया। वादी द्वारा विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयुपर के समक्ष प्रथम अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2003 को अपील खारिज की । विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णयों व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट/वादी ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्षे पेश की है ।

3— हमनें अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी ।

4— अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री

न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने वाद का श्रवणाधिकार सिविल का होने व राजस्व न्यायालय का न होने के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध है । विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के विपरीत तनकीयात कायम कर निर्णय व डिक्री पारित की है । वादी/अपीलांट ने अपने वाद में वसीयत के आधार पर विवादित भूमि में 1/4 हिस्से की सह हिस्सेदारी की घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है । विचारण न्यायालय तनकी संख्या 5 पर कोई निर्णय किये बिना ही वाद खारिज किया है । बहस में आगे कथन किया कि वादी स्व0 लक्ष्मीनारायण के हिस्से पर उसके जीवनकाल से ही वसीयत के आधार पर काबिज रहा है तथा आज भी काबिज है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपील खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलाटस स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायायलों के निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावे ।

5— हमनें अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

6— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट/वादी ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध वादपत्र स्वंय के पक्ष में मृतक खातेदार लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण द्वारा निष्पादित अपंजीकृत वसीयत दिनांक 12.03.1986 के आधार पर बाबत् इस्तकरार हक, दुरूस्ती तकासमा का पेश किया है । उक्त वादपत्र का प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी बसन्ती देवी मृतक खातेदार लक्ष्मण की पत्नि है । प्रतिवादी संख्या 1 के एकमात्र पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 चमेलीदेवी है जो अपने पति के साथ ससुराल रहती है । मृतक खातेदार लक्ष्मण के 1/4 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 बसंती अपने पति के जीवनकाल से काबिज काश्त चली आ रही है । लक्ष्मीणनारायण की फौतगी का नामांतकरण संख्या 554 दिनांक 24.05.1989 को प्रतिवादी संख्या 1 बसंती व उसकी पुत्री चमेलीदेवी के नाम तस्दीक हो चुका है तथा खातेदारी दर्ज रिकार्ड हो चुकी है । वादीगण ने उसकी जमीन हड़पने की नियत से फर्जी वसीयत तैयार कर उक्त वाद पेश किया है । अतः वाद खारिज

किया जावे । विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर वाद में कुल 6 तनकीयात कायम वादी का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि तथाकथित वसीयत दिनांक 12.03.1986 को निष्पादित हुई है, एवं नामांतकरण दिनांक 24.05.1989 को खोला गया है । उक्त नामांतकरण के समय वसीयत का कोई उल्लेख न हीं है । अतः ऐसी दशा में मामला पूर्णतया सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होना प्रतीत होता है । हम विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष से सहमत है क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत को फर्जी होने का कथन किया गया है । यद्यपि वसीयत पर बसंती देवी की तथाकथित अंगूठा निशानी है किन्तु बसंती देवी द्वारा वसीयत को फर्जी बताया गया है । ऐसी स्थिति में तथाकथित वसीयत विवादित ही मानी जावेगी। वादी जब तक तथाकथित वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से प्रमाणित नहीं करवा लेता तब तक उसे वसीयत के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर वादी का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है, जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते हैं।

7— परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जाती है । भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2003 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष